



१. १९५५ साल के हुक्म के बाद (बोर्डिंग) के जाने के  
 फायदा के रूप में १९५५ साल के हुक्म के अनुसार  
 निवेदनानुसार भी (बोर्डिंग) किया जा रहा है।  
 २. १९५५ साल के हुक्म के बाद (बोर्डिंग) के जाने के  
 फायदा के रूप में १९५५ साल के हुक्म के अनुसार  
 निवेदनानुसार भी (बोर्डिंग) किया जा रहा है।  
 ३. १९५५ साल के हुक्म के बाद (बोर्डिंग) के जाने के  
 फायदा के रूप में १९५५ साल के हुक्म के अनुसार  
 निवेदनानुसार भी (बोर्डिंग) किया जा रहा है।



महायक कलकत्ता  
 १९५५